



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-13082026-275426
CG-KA-E-13082026-275426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4260]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 4260]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे, (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 10 अगस्त, 2026

का.आ. 4438(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) की अधिसूचना का.आ. 2801(अ), दिनांक 02.06.2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड 20क के अधीन जारी की गई थी, द्वारा रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी ने कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले में कराडी-तिपटूर के बीच समपार संख्या 81 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल (आर.ओ.वी.) के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के अधिग्रहण के अपने आशय की घोषणा की थी।

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 20क के अधीन 19.06.2026 को समाचार पत्रों प्रजावाणी, कन्नड़ प्रभा, डेक्कन हेराल्ड, कोलार वाणी और द हिन्दू में प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड 20घ के अधीन दाखिल की गई आपत्तियां प्राप्त कीं तथा उन पर विचार कर उनका समुचित रूप से निपटारा किया;

और जबकि, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 20ड के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 20ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा घोषणा करता है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किया जाएगा;

और आगे, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड 20ड के अनुसरण में, रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी एतद्वारा घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूर्णतः केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले में कि.मी. 137/200 से कि.मी. 137/300 तक के भू-भाग में पड़ने वाली, संरचनाओं सहित अथवा संरचनाओं के बिना, अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य: कर्नाटक			जिला: तुमकुरु		तालुक: तिपटूर			
होबली: कसबा				ग्राम: कोप्पा				
क्र. सं.	सर्वेक्षण सं.	सरकारी / निजी भूमि	भूमि का वर्गीकरण	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़-गुंटा)				आर.टी.सी. धारकों के नाम
				कुल	ए-खराब	बी-खराब	शेष	
1	52/4	निजी	शुष्क भूमि	0-36	-	-	0-36	बी. एस. बसवराजु पुत्र शिवप्पा
2	52/5	निजी	एन.ए.के	0-00 1/2	-	-	0-00 1/2	टी. एस. चन्नेगौड़ा पुत्र सुबगैयागौड़ा
3	52/6	निजी	एन.ए.के	0-03 1/2	-	-	0-03 1/2	टी. एस. चन्नेगौड़ा पुत्र सबगैयागौड़ा
4	52/7	निजी	शुष्क भूमि	0-02	-	-	0-02	सिकंदर पुत्र नवाब खान, अजमल पाशा पुत्र यूनुस पाशा
5	52/11	निजी	एन.ए.के	0-05 1/2	-	-	0-05 1/2	टी. एस. चन्नेगौड़ा पुत्र सोबगैयागौड़ा
6	52/13	निजी	शुष्क भूमि	0-02	-	-	0-02	एम. सौभाग्या पत्नी टी. एस. चन्नेगौड़ा
7	53	निजी	शुष्क भूमि	0-04	-	-	0-04	टी. एस. चन्नेगौड़ा पुत्र सुबगैयागौड़ा
8	57	अनुदानित	अनुदानित	0-37 1/2	-	-	0-37 1/2	केम्पैया पुत्र चन्नैया, एम. वीरराजु पुत्र के. एम. मुनिकृष्णप्पा, एम. वीरराजु, के. सी. गंगाधरैया पुत्र चंद्रैया, वसंतम्मा पुत्री चंद्रैया, गुरुदत्त पुत्र चंद्रैया, ममता पुत्री चंद्रैया, रंगैया पुत्र दासन्ना, रामैया पुत्र लक्कैया, लक्ष्मी पत्नी के. एम. रविंद्र, गंगम्मा पत्नी चंद्रैया, के. सी. गंगाधरैया पुत्र चंद्रैया, वसंतम्मा पुत्री चंद्रैया, गुरुदत्त पुत्र चंद्रैया, ममता पुत्री चंद्रैया, गंगम्मा पत्नी चंद्रैया, गोमाला लक्ष्मी पत्नी के. एम. रविंद्र
कुल				2-11	-	-	2-11	-

सारांश					
ग्राम	भूमि का वर्गीकरण	अर्जित क्षेत्रफल (एकड़-गुंटा में)			
		कुल	ए-खराब	बी-खराब	शेष
कोप्पा	शुष्क	1-04	-	-	1-04
	एन.ए.के.	0-09 1/2	-	-	0-09 1/2
	अनुदानित	0-37 1/2	-	-	0-37 1/2
कुल	-	2-11	-	-	2-11

[फा. सं. डब्ल्यू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

परदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण/बेंगलुरु छावनी

MINISTRY OF RAILWAYS**[South Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Bengaluru, the 10th August, 2026

S.O. 4438(E).— Whereas by the notification of the Central Government (Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) **S.O. 2801(E) dated: 02.06.2026** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) issued under Section 2, Clause 20A of Railway Act, 1989 (24 of 1989) (herein referred to as the said act) the Ministry of Railway, South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment declare its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for Level crossing No.: 81 Construction of R.O.B. between Karadi-Tiptur in the district of **Tumakuru** in the state of Karnataka.

And whereas the substance of the said notification has been published in in the newspapers Prajavani, Kannada Prabha, Deccan Herald, Kolar Vani, and The Hindu on 19.06.2026 under Section 2, Clause 20A of Railway Act-1989. And whereas the Competent Authority has received objections filed under section 2, clause 20D, considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act-1989, the competent authority has submitted its report to the Ministry of Railway, Southwestern Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the Section 2, Clause 20E of Railway Act 1989 the Ministry of Railway, Southwestern Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Section 2, Clause 20E of Railway Act-1989, the Ministry of Railway, Southwestern Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment hereby declares that on publication of this

notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from 137/200 Km to 137/300 Km. In the district of Tumakuru in the state of Karnataka.

STATE: KARNATAKA		DISTRICT: TUMAKURU		TALUK: TIPTUR				
HOBLI: KASABA				VILLAGE: KOPPA				
Sl. No.	Sy. No.	Government / Private Land	Classification of land	Acquired Extent (In Acres-Guntas)				RTC Holders Names
				Total	A-Kharab	B-Kharab	Balance	
1	52/4	Private	Dry	0-36	-	-	0-36	B.S. Basavaraju S/O Shivappa
2	52/5	Private	N.A.K.	0-00 1/2	-	-	0-00 1/2	T.S. Channegowda S/O Subagaiahgowda
3	52/6	Private	N.A.K.	0-03 1/2	-	-	0-03 1/2	T.S. Channegowda S/O Sabagaiahgowda
4	52/7	Private	Dry	0-02	-	-	0-02	Sikandar bin Nawab Khan, Ajmal Pasha bin Yunus Pasha
5	52/11	Private	N.A.K.	0-05 1/2	-	-	0-05 1/2	T.S. Channegowda S/O Sobagaiahgowda
6	52/13	Private	Dry	0-02	-	-	0-02	M Sowbhagya W/O T.S. Channegowda
7	53	Private	Dry	0-04	-	-	0-04	T.S. Channegowda S/O Subagaiahgowda
8	57	Grant	Grant	0-37 1/2	-	-	0-37 1/2	Kempaiah S/O Channaiah, M. Veeraraju S/O K.M. Munikrishnappa, M. Veeraraju, K.C. Gangadharaiah S/O Chandraiah, Vasanthamma D/O Chandraiah Gurudat S/O Chandraiah, Mamatha D/O Chandraiah, Rangaiah S/O Dasanna, Ramaiah S/O Lakkaiah, Lakshmi W/O K.M. Ravindra, Gangamma W/O Chandraiah, K.C., Gangadharaiah S/O Chandraiah, Vasantamma D/O Chandraiah, Gurudatta S/O Chandraiah, Mamatha D/O Chandraiah, Gangamma W/O Chandraiah, Gomala Lakshmi W/O K.M. Ravindra
Total				2-11	-	-	2-11	-

ABSTRACT					
VILLAGE	CLASSIFICATION OF LAND	ACQUIRED EXTENT (In ACRES-GUNTAS)			
		TOTAL	A KHARAB	B KHARAB	BALANCE
Koppa	Dry	1-04	-	-	1-04
	N.A.K.	0-09 1/2	-	-	0-09 1/2
	Grant	0-37 1/2	-	-	0-37 1/2
TOTAL	-	2-11	-	-	2-11

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction/Bengaluru Cantonment